		जारी हुये
12.07.22	प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी पेश हुआ। वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया का कथन है कि वह अन्य न्यायालय में व्यस्त थे, श्रीमान्जी के न्यायालय में आवाज लगने पर उपस्थित नहीं हो पाये जिसके कारण प्रार्थना पत्र 212 आरटीए अदम हाजिरी व पैरवी में खारिज हो गया, प्रार्थीया अपना प्रार्थना पत्र कन्टेस्ट करना चाहती है। प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया मूल पत्रावली दफ्तर से तलब की गई। मूल पत्रावली गैरसायलान की तलबी में विचाराधीन हैं। प्रार्थना पत्र, प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आरटीए को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् पेश किया गया है, वकील प्रार्थीया के कथनों का मनन करने व न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पुनः नम्बर पर लिया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फेसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज.)	